

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

उर्मिला बनाम अनिल

तारीख हुकम

2018  
2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

20/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उर्पास्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आएश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 05/08/2025 में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है | न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये 30 दिवस में उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

